न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5729/2005/चूरू

1– मु0 ज्यानादेवी पुत्री रामजस जाति जाट निवासी ग्राम ख्याली तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

---- अपीलांट/वादिया

बनाम

1– मु0 रतनी बेवा रामजस,

2– लिछमा,

3– विमला,

4– सजना पुत्रियां रामजस सभी जाति जाट निवासी ग्राम ख्याली तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

---- रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री सुनील कड़वासरा, अधिवक्ता रेस्पो0।

<u>निर्णय</u> दिनांक :– 14–9–2021

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर कैम्प चूरू द्वारा अपील सं0 3/2004 बउनवानी रतनी बनाम ज्याना में पारित निर्णय दिनांक 27–10–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ़ के समक्ष वादिया ज्याना ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि खेत खसरा नं0 11, 25, 41, 49, 4, 90/386 कुल रकबा 108 बीघा 11 बिस्वा में मृतक रामजस (वादिनी का पति) और प्रतिवादी सं0 2, 3 का 2/5 बहिस्सा बराबर और खसरा नं0 8 रकबा 19 बीघा अकेले वादी, सभी भूमि ग्राम ख्याली में बताते हुए बतौर वारिसान वाद प्रस्तुत

किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 27–12–2003 को वाद वादी आंशिक स्वीकार व आंशिक डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2003 के विरूद्ध अपीलांट रतनी ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर कैम्प चूरू के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–2005 से अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2003 निरस्त कर दी जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–10–2005 न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विद्वान परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2003 को उलटकर रेस्पो0 सं0 2 ल0 4 को अपीलांट एवं रेस्पो0 सं0 1 के साथ मृतक रामजस के वारिसान मानकर बहिस्सा बराबर–बराबर विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लालचन्द, मु0 नोहरा, रतीराम, सोहनलाल, हरफूल एवं भगवती प्रतिवादी थे एवं विद्वान सहायक कलक्टर के निर्णय तक वे वाद में पैरवी करते रहे। रेस्पो0 के साथ उन्होंने भी अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। रेस्पो0 ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में लालचन्द वगैरा प्रतिवादी को पक्षकार नहीं बनाया जिससे रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील अपूर्ण थी। आदेश 41 नियम 4 जा0दी0 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी पक्षकारों को अपील में किसी भी रूप में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। उक्त प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में विद्वान सहायक कलक्टर का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2003 को अपास्त नहीं किया जा सकता था। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उक्त प्रतिवादीगण को अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने की स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हुए अपील को निर्णित की है। बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय

अपील/डिक्री/टीए/5729/2005/चूरू

ज्यानादेवी बनाम रतनी

के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 मु0 रतनी ने अपने बयान दिये हैं जिसमें स्वयं के चार लड़कियां होने का कथन किया एवं अपने पति का देहान्त सं0 2030 में दिनांक 15–4–2002 को होना कहा है एवं दिनांक 15–4–2002 को सजरा रेस्पो0 सं0 4 ने अपने बयान दिये जिसमें उसने अपने आपको सबसे छोटी लड़की होने का कथन किया एवं स्वयं की आयु 30 वर्ष होना बताया है। मु0 सजना के बयानों एवं मु0 रतनी के बयानों में काफी विभिन्नता है। मु0 सजना के बयानों को ध्यान में रखा जावें तो मु. सजना की दोनों बड़ी बहिनों ने अपने कोई बयान नहीं करवाये एवं ना उसने यह कथन किया कि कौनसी बहिन उससे कितनी बड़ी है। केवल मात्र रेस्पो0 सं0 1 के बयानों को आधार बनाते हुए विद्वान अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0 सं0 2 ल0 4 को रामजस की पुत्रियां मानकर रामजस के 5 वारिसान को उसकी खातेदारी भूमि का उत्तराधिकारी मानकर बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के रिक्वायरमेन्ट के अनुसार नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–2005 निरस्त किया जावें एवं विद्वान सहायक कलक्टर, राजगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2003 को यथावत रखा जाकर रेस्पो0 नं0 1 का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा घोषित किया जावें एवं शेष 2/3 हिस्सा के खातेदार रामजस के वारिसान अपीलांट एवं ओमप्रकाश को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने कथन की ताईद में 2001 आर0बी0जे0 पेज 603, 2019 आर0आर0टी0 पेज 1130, 831 वं 1992 आर0आर0डी0 पेज 658(ए) के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के तर्को का विरोध करते हुए लिखित कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिवत् होकर उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील में कोई विधिक बिन्दू विचाराधीन नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावें।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7- विद्वान सहायक कलक्टर, राजगढ़ ने दिनांक 27-12-2003 को आदेश पारित किया कि वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है। कृषि भूमि खसरा नं0 11, 25, 41, 49, 90/386 कुल तादादी 108-11 बीघा भूमि रोही मौजा ख्याली तहसील राजगढ़ जिला चूरू में रामजस मृतक के 1/5 हिस्से की खातेदारी के बहिस्सा बराबर 1/2-1/2 वादिनी सं0 1 ज्याना व प्रतिवादीनी सं0 1 रतनी तथा कृषि भूमि खसरा नं0 8 तादादी 19 बीघा भूमि रोही मौजा ख्याली तहसील राजगढ़ जिला चूरू में बहिस्सा बराबर 1/2-1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार वादीनी सं0 1 ज्याना प्रतिवादीनी सं0 1 रतनी को घोषित किया जाता है। इसकी अपील होने पर विद्वान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने दिनांक 27-10-2005 को निर्णय पारित किया कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 27-12-2003 निरस्त किया जाता है। प्रश्नगत भूमि में मृतक रामजस के हिस्से की 1/5 भूमि खसरा नं0 11, 25, 41, 49, 90/386 में अपीलाट्स और रेस्पो0 को बहिस्सा बराबर और खसरा नं0 8 रकबा 19 बीघा में भी बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है।

8- जिसके विरुद्ध मण्डल में अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

9- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रदर्श-1 नकल नामान्तरकरण सं0 64 दिनांक 30-9-1974 ग्राम पंचायत पहाड़सर जिला चूरू द्वारा तस्दीक किया गया है जिसमें अंकित है कि खसरा नं0 8 रकबा 19 बीघा खातेदार रामजस के बजाय उसकी औरत मु0 रतनी के नाम से खातेदारी मंजूर की गई। प्रदर्श-2 नकल नामान्तरकरण सं0 61 दिनांक 30-9-1974 जिसमें अंकित है कि रामजस फौत हो गया है। इसलिए रामजस के हिस्से की उसकी औरत मु0 रतनी बेवा रामजस 1/5 हिस्से की खातेदारी मंजूर की जाती है। प्रदर्श-3 नकल जमाबन्दी ग्राम ख्याली तहसील राजगढ़ जिला चूरू सम्वत् 2050 में खसरा नं0 8 रकबा 19 बीघा मु0 रतनी बेवा रामजस जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार नकल जमाबन्दी प्रदर्श-4 में मु0 रतनी बेवा रामजस का 1/5 हिस्सा दर्ज है।

10– विद्वान सहायक कलक्टर के निर्णय में मुख्य रूप से तनकी सं0 4 है जिसमें विद्वान सहायक कलक्टर ने यह अंकित किया है कि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है जिससे यह पाया जावें कि प्रतिवादिनी सं0 7–9 मृतक रामजस की जायन्दा पुत्री हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में अंकित किया है कि प्रतिवादिनी के काउन्टर क्लेम का वादी पक्ष की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इसलिए वादिनी ज्याना द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में कथन करने के दावे प्रदर्श ए–1 में मु0 रतनी का फूलाराम के नाता जाना व उससे तीन लड़कियां होना नहीं लिखा है। उसने तो लिखा दिया था। यह बयान वादपत्र के विपरीत है जो स्वीकार्य नहीं है जो काउन्टर क्लेम जवाब दावे का कोई जवाब उल जवाब नहीं दिया गया है। वल्दियत रामजस पति प्रकट नहीं की। इन सब प्रमाणों से प्रतिवादिनी सं0 7 ता0 9 मृतक रामजस की संतान होना प्रमाणित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में ऐसा कोई सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, वोटर आई.डी. या अन्य कोई प्रमाणपत्र किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें वादिनी सं0 1 ज्याना तथा प्रतिवादिनी सं0 7 लिछमा, 8 विमला, 9 सजना की वल्दियत अंकित हो। पत्रावली में मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि रामजस की मृत्यु के बाद मु0 रतनी अपने देवर हरफूल के नाते गयी तथा ज्याना के अलावा शेष लड़किया दोनों लड़कियां उससे पैदा हुई। इस बिन्दु का निर्णय कोई भी विधिमान्य दस्तावेज प्राप्त करके ही किया जा सकता है कि वास्तव में रामजस के केवल एक लड़की ज्यादा थी अथवा बाकी तीनों लड़कियां भी, कि वल्दियत भी रामजस की है अथवा नहीं? दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं वे विधिमान्य दस्तावेजों के अभाव में केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर ही पारित किय गये हैं। ऐसी स्थिति में यह उचित प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान से दस्तावेजात प्राप्त कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावें। इसलिए प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

11– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, राजगढ़ जिला चूरू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षकारान से वल्दियत के संबंध में विधिमान्य दस्तावेज प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य व

अपील/डिक्री/टीए/5729/2005/चूरू

ज्यानादेवी बनाम रतनी

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

12– पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, राजगढ़ जिला चूरू के न्यायालय में दिनांक 11–10–2021 को उपस्थित हो।

13– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य